

23

149

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा संभाग

रीवा म0प्र0



RS429-II/16

1. गुरुदेवधर पिता स्व0ठाकुरधर द्विवेदी उम्र 60 साल निवासी ग्राम खैरा, तहसील व थाना चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0
2. नागेन्द्रधर पिता स्व0ठाकुरधर द्विवेदी उम्र 36 साल निवासी खैरा(फलके)थाना व तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0

अधिकांश राजस्व कोर्ट
द्वारा पेसा 26.9.16

-----निगरानीकर्तागण

बनाम

झुन्ने कोल पिता हिंछा कोल उम्र 70 साल निवासी ग्राम खैरा तहसील व थाना चितरंगी जिला सिगरौली म0प्र0

-----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक चितरंगी तहसील चितरंगी के जिला सिगरौली के प्रकरण क्रमांक 10अ12/15-15 मे पारित आदेश दिनांक 14.7.16 के बिरुद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0संहिता

(Signature)

(Signature)
26/9/16
राजस्व मंडल

(23)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...RS.4.29-IV/2016/922.....जिला...सिगरही

.....गुरुदेवधर.....विरुद्ध.....मुन्नेलाल.....

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>राजेश प्रबल</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>सिगरही</u> तहसील <u>सिगरही</u>..... के प्रकरण क्रमांक <u>90/33/12/15-16</u>..... में पारित आदेश दिनांक <u>14.07.2016</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सिगरही</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-03-19</u>..... को कलेक्टर <u>सिगरही</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	


सदस्य